राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

वाद संख्या–01/2026

अफसाना खातून बनाम् जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)

इस वाद की सुनवाई दिनांक–**12.03.2026** को हुई, जिसमें वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नौशाद आलम उपस्थित। प्रतिवादी–सह–निर्वाची पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण स्वयं उपस्थित।

वाद के विषय–वस्तु किसी अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता से संबंधित न होकर वार्ड संख्या–06, नगर पंचायत पकड़ीदयाल के निर्वाचन को रद्द करने से संबंधित है। अतः नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत वादी को वाद की Maintainability को प्रमाणित करने हेतु अवसर प्रदान किया गया।

उक्त के आलोक में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा यह वाद सविधान के अनुच्छेद–243-ZA–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 के संगत प्रावधान के तहत दायर किया गया है, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद–243-ZA में आयोग को निर्वाचन कार्य से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई करने तथा उसमें गड़बड़ी या अनियमितता पाये जाने पर निर्वाचन को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा संविधान के उक्त अनुच्छेद का वाचन किया गया, जो निम्नवत् हैः–

"243-ZA. Elections to the Municipalities.- (1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Municipalities shall be vested in the State Election Commission referred to in article 243K."

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि संविधान के उक्त प्रावधानों के कारण आयोग को निर्वाचन में हुई गड़बड़ियों पर सुनवाई की पूर्ण अधिकारिता है।

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि वार्ड संख्या–06, नगर पंचायत , पकड़ीदयाल के निर्वाचन कार्य में हुई गड़बड़ियों एवं अपनाएँ गये प्रक्रियाओं के संबंध में उन्हें घोर आपत्ति है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल को मौखिक तौर पर सूचित किया गया कि वह छः वोटों से चुनाव हार गये है, परन्तु काफी देर बाद आयोग के Website पर उनके हार का अन्तर 23 वोट कर दिया गया। इस प्रक्रिया में कोई पुनर्गणना अथवा लिखित व्याख्या उन्हें नहीं दिया गया। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष रूप से मनमानेपन एवं पारदर्शिता के अभाव को प्रकट करता है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि मतगणना के तुरन्त बाद उनके मुवक्किल द्वारा निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित आपत्तियाँ दायर की गई, परन्तु कोई सुधारात्मक कदम किसी के द्वारा नहीं उठाया गया। ऐसा होने से चुनाव की पवित्रता प्रभावित हुई है, जिसके कारण उनके द्वारा चुनाव को रद्द करने एवं स्वतंत्र निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव का माँग किया जा रहा है।

प्रतिवादी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि चुनाव समाप्ति, अर्थात् मतगणना के उपरांत निर्वाचन संबंधी किसी विवाद की स्थिति में केवल चुनाव याचिका ही Legal Remedy है।

आयोग द्वारा दोंनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों, तथा संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानों का मनन किया गया कि वादी का मुख्य आरोप है कि पकड़ीदयाल नगर पंचायत के वार्ड संख्या–06 का चुनावी प्रक्रिया तथा विशेष रूप से मतगणना पारदर्शी ढ़ंग से नहीं किये जाने के कारण वार्ड संख्या–06, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, अर्थात् उनके द्वारा मतगणना के उपरांत चुनावी प्रक्रिया को प्रश्नगत् किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 243-ZG(b) के प्रावधान निम्नरूपेण उल्लेखित है:–

"243ZG. Bar to Interference by courts in electoral matters- Notwithstanding anything in this Constitution,-

(b) no election to any Municipality shall be called in question except by an **election petition** presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State."

संवैधानिक प्रावधानों से उद्भूत बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–476 में Election Petition संबंधी प्रावधान अंकित है, जो निम्नवत् है:–

"476.Election Petition. (1) The election to any office of a Municipality shall not be called in question except by an election petition as prescribed:

Provided that if an election to any office of a **Nagar Panchayatis** under dispute, the election petition shall lie before such **Munsif** within whose jurisdiction such Nagar Panchayat is situated and if the election to any office of Municipal Council and Municipal Corporation is under dispute, the election petition shall lie before such sub-judge within whose jurisdiction such municipality is situated."

उक्त संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि वार्ड संख्या–06, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के निर्वाचन में अनियमितता अथवा प्रक्रियागत त्रुटि के आधार पर इसे रद्द करने की माँग पर विचार करने की अधिकारिता/क्षेत्राधिकार केवल उस मुंसिफ न्यायालय में निहित है, जिसके परिक्षेत्र में नगर पंचायत पकड़ीदयाल अवस्थित है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा L.P.A. No.1639/2016(बिभा देवी एवं अन्य बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य) मामले में इस तथ्य को सम्पुष्ट किया है कि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार के विवाद के सुनवाई के अधिकारिता आयोग में नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग संदर्भित मामले में क्षेत्राधिकार/अधिकारिता के अभाव में वादी के वाद–पत्र पर विचार नहीं कर सकता। अतः यह वाद आयोग में पोषणीय(Maintainable) नहीं है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
08.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
08.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/2026 1464 पटना, दिनांक 8.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**/निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, **पूर्वी चम्पारण** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, **पूर्वी चम्पारण** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी को करा दिया जाए तथा तामिला प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

08/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी